कोटा जिला कलेक्टर ने फूड सेम्पलिंग बढ़ाने और सख्ती के निर्देश दिए

कोटा जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये।

कोटा, (निसं)। विभागीय योजना एवं अंतर विभागीय समन्वय बैठक कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर समारिया ने बरसाती मौसम में स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, बिजली, सड़क जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर समारिया ने हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को चिन्हित स्थलों पर लक्ष्य अनुसार पौधारोपण कर रिपोर्ट ऑनलाईन अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए आमजन एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

कलक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि बरसात के दौरान मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए डोर-टू-डोर सर्वे नियमित रूप से कराते रहें। उन्होंने डेंगू के पॉजिटिव केस मिलने पर आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वा गतिविधियां सघन रूप से करवाने तथा वॉटर सेम्पलिंग और उसके परिणामों की निरंतर समीक्षा करने को कहा। आरबीएसके के तहत स्कूलों में की जा रही स्क्रीनिंग और बच्चों के ऑपरेशन संबंधी प्रगति की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बरसात के मौसम में बैक्टीरिया जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों, होटल, रेस्तरां, हॉस्टल के मेस और सड़क किनारे लगने वाले फूड स्टॉल्स की खाद्य सामग्री की सेम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोटा में लैब और पर्याप्त फूड इंस्पेक्टर्स उपलब्ध हैं, ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि मिलावटी या खराब खाद्य सामग्री बाजार में न पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

पीएचईडी विभाग को निर्देश देते हुए कलक्टर समारिया ने कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था लगातार बनाए रखें। कहीं भी जलापूर्ति बाधित न हो, इसकी सतत मॉनिटरिंग करें। नियमित वॉटर सेम्पलिंग कर परिणामों के आधार पर आवश्यक कदम उठाएं और आमजन को जागरूक करें।

कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से ध्वस्त हुई पुलिया और सड़कों की शीघ्र मरम्मत कर सुचारू यातायात व्यवस्था बहाल करें। उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित किया जा सके। अतिवृष्टि के कारण प्रभावित हुई बिजली आपूर्ति पर कलेक्टर ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी खम्भे गिरने या अन्य तकनीकी कारणों से आपूर्ति प्रभावित हुई है, वहां त्वरित समाधान कर सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करें।

शिक्षा विभाग, आईसीडीएस सहित अन्य विभागों को निर्देशित करते हुए कलक्टर ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का आंकलन कर एसडीआरएफ के तहत प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भेजें। सभी विभाग एसडीएम और पीडब्ल्यूडी से समन्वय कर प्रस्ताव तैयार करें। कलेक्टर समरिया ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई में दर्ज परिवादों की प्रतिदिन समीक्षा कर उनका त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि बार-बार एक जैसी आने वाली शिकायतों का स्थायी समाधान निकालें। त्वरित समाधान योग्य मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से यह भी कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए समाधान करें ताकि आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। नगर निगम को निर्देशित किया गया कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। साथ ही बरसात के कारण प्लास्टिक आदि से अवरुद्ध नालों की विशेष सफाई योजना बनाकर कार्य करें ताकि जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सकें।

कलेक्टर ने कृषि विभाग एवं अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि वे समन्वय कर प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को योजना से जुड़ने या क्लेम संबंधी किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में आईएएस प्रशिक्षु आराधना चौहान, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर अनिल सिंघल, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला सहित समस्त जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

चोरी के खुलासे की मांग को लेकर व्यापार महासंघ का प्रदर्शन

भवानीमंडी, (निसं)। शहर के स्टेशनरी व्यापारी के यहां हुई चोरी की घटना का अब तक खुलासा नहीं होने पर व्यापार महासंघ के नेतृत्व में व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में एक बाइक रैली शहर में निकाली गई और उपरांत डिप्टी पुलिस अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि आगामी सात दिवस के भीतर चोरी का पूर्ण रूप से खुलासा किया जाएगा। व्यापार महासंघ अध्यक्ष गिरिश सोमानी ने कहा कि शहर में इसके अलावा पिछले तीन चार माह में कई चोरिया एवं ठगी के मामले हुए है लेकिन पुलिस किसी भी चोरी का खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सात दिनों में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आता है तो व्यापारी वर्ग आंदोलन को और अधिक उग्र करेगा। इस अवसर पर व्यापार महासंघ के लक्की मारवाड़ी, मनिंदर सिंह, दामोदर गुप्ता, अनिल गुप्ता, मनिंदर सिंह भाटिया, गोर्धन गुप्ता, दिलीप सेठिया, अनिल गुप्ता, अशुतोष गुप्ता, राजेश फलोदी, गिरीश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, राजकुमार जैन, पारस नाहर, अंजनी सक्सेना, आयुष नाहर, मनोज वेद, विजय नाहर, संजय गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे।

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कोटा, (निसं)। एक मासूम नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के डेढ़ साल पुराने मामलें में पोस्कॉ क्रम-3 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी राधेश्याम साल्वी उर्फ नेहरू को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश भंडारी ने बताया कि 18 दिसम्बर 2023 को पीड़िता की मां ने शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी साढ़े छह वर्ष की बेटी दुकान पर बैठी थी। वहीं पास का दुकानदार उसकी बेटी को मुर्गा खरीदने के बहाने ले गया और अंधेरे में खाली प्लॉट में ले जाकर गलत काम किया।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/5262 दिनांक: 21.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश गोयल पुत्र स्व. श्री सूरज प्रकाश गोयल एवं श्री अनिल गोयल पुत्र स्व. श्री सूरज प्रकाश गोयल निवासी भूखंड संख्या 38-ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 38-ए तलवण्डी क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 38-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट का 99 वर्षीय पट्टेदारी के आधार पर बिक्री कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 726/विक्रय/73 दिनांक 12.06.1973 से श्री सूरज प्रकाश गोयल पुत्र श्री रामजीवन गोयल को किया गया। श्री सूरज प्रकाश गोयल ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 08.08.2022 से उक्त भूखंड की वसीयत श्री राजेश गोयल पुत्र श्री सूरज प्रकाश गोयल एवं श्री अनिल गोयल पुत्र श्री सूरज प्रकाश गोयल के नाम कर दी। श्री सूरज प्रकाश गोयल का देहावसान दिनांक 19.12.2024 को हो जाने के उपरांत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/5261 दिनांक: 21.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल जैन निवासी भूखंड संख्या 321-ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 321-ए तलवण्डी क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 321-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का 99 वर्षीय पट्टेदारी के आधार पर बिक्री कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ 5 (2013) विक्रय 73 दिनांक 19.12.1973 से श्री पी.सी. बलीचवाल पुत्र श्री मोती लाल को किया गया। श्री प्रेमचन्द बलीचवाल ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.1992 से उक्त भूखंड श्री मनोहर लाल जैन पुत्र श्री भंवर लाल जैन एवं श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री फून्दी लाल जैन को विक्रय कर दिया। श्री मनोहर लाल जैन का देहावसान दिनांक 30.06.1996 को हो जाने के उपरांत श्री मनोहर लाल जैन के विधिक वारिसान श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, श्री पारस कुमार जैन, श्री अजीत कुमार जैन एवं श्री रविन्द्र कुमार जैन पिसरान स्व. श्री मनोहर लाल जैन ने जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 30.11.2006 से एवं श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल जैन ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 08.04.2025 से तथा श्रीमती लाड देवी पुत्री स्व. श्री मनोहर लाल जैन पत्नी श्री पदम चंद जैन व श्रीमती कैलाश देवी पुत्री स्व. श्री मनोहर लाल जैन पत्नी श्री प्रेमचंद जैन ने जर्ये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 21.04.2025 से उक्त भूखंड में से स्व. श्री मनोहर लाल जैन के अविभाजित 1/2 भाग में से स्वयं का हक श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल जैन के पक्ष में त्याग दिया। श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल जैन उर्फ फून्दी लाल ने जर्ये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 08.04.2025 से उक्त भूखंड में से स्वयं का अविभाजित 1/2 भाग श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल जैन को उपहार कर दिया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

पीएमएफएमई योजना की जानकारी हेतु बैठक आज

रामगंजमण्डी, (निसं)। स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सभागार में 22 जुलाई मंगलवार को प्रातः 11.30 बजे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित पीएमएफएमई योजना की जानकारी देने हेतु बैठक का आयोजन रखा गया है।

सचिव कृषि उपज मंडी समिति रामगंजमण्डी जवाहरलाल नागर ने बताया कि जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले नए एवं मौजूदा उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान, आवेदन हेतु निःशुल्क सहायता, ट्रेनिंग एवं तकनीकी सहायता के संबंध में जानकारी दी जावेगी।

कोटा जिला शतरंज संघ कोटा द्वारा 26- 27 जुलाई को ऑल इंडिया ऑपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष प्रेम भाटिया ने बताया कि प्रतियोगिता राधिका रिसोर्ट थेकडा रोड केरियर पॉईन्ट गुरुकुल के पास कोटा में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन सोमवार को जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव मुकेश मंडलोई, कोषाध्यक्ष ईश्वर आनन्द शर्मा एवं कार्यकारी सदस्य रजनी शर्मा उपस्थित थे।

एसडीएम को ज्ञापन देकर गौवंश संरक्षण की मांग की

■ गौशाला होने के बावजूद गाय दर-दर भटकने को मजबूर

छबड़ा (निसं)। कस्बे में गौषाला होने के बावजूद गाय दर-दर भटक रही है और हादसो का शिकार हो रही हैं। सोमवार को युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर गौवंश संरक्षण की मांग की।

युवा नेता दीपक त्यागी ने बताया कि सोमवार को उपखंड अधिकारी रामसिंह गुर्जर को दिए ज्ञापन में बताया कि यहां गौशाला होने के बावजूद सड़कों पर गायों का घूमना एक गंभीर समस्या बन गई है। यह स्थिति गौशाला की कार्यप्रणाली और प्रबंधन पर सवालियां निशान उठा रही हैं।

आए-दिन गौवंष हादसे के शिकार हो रहे हैं। गौषाला समिति सिर्फ इतिश्री कर रही हैं। बीती रात्रि को भी ट्रक चालक द्वारा टक्कर मारने के कारण एक बछड़े की मृत्यु हो गई। यहां तेज गति से दौडने वाले बडे वाहनो से कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं।

ज्ञापन में गौशाला में नई समिति बनाए जाने, धरनावदा चौराहे पर पुलिस जाब्ता लगाए जाने, रात्रि के समय बिजली की उचित व्यवस्था किए जाने, दर-दर भटक रही गौवंष को गौषाला पहुंचाए जाने, सीसीटीवी कैमरे चालू किए जाने, टक्कर मारने वाले ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की अन्यथा प्रदर्शन की चेतावनी दी हैं।

यहां मुकेश पांचाल, वतन मीणा, हरिभजन, रोहन, हेमंत, अभिषेक मीणा, जगमोहन गुर्जर, राज यादव, जीतू सुमन, दीपक भील, अर्पित सेन, सोनू साहू, विशाल सेन, रोहित मेराठा, आशीष साहू, सुरेंद्र मीणा, गिर्राज, चेतन भार्गव आदि मौजूद रहे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-347 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-18.7.25

नगर विकास न्यास कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखंड/आवास संख्या 1116-सी का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 24.04.2010 को श्रीमती रमा चतुर्वेदी पत्नी श्री विमल चतुर्वेदी को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.03.2012 को श्रीमती ममता रानी पत्नी श्री दीपक राज यादव को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा भी उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती बबलेश पत्नी श्री धनराज द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2025 को श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री लोकेश कुमार को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1116-सी योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री लोकेश कुमार के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/160 दिनांक:-23.6.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना श्रीनाथपुरम आवास संख्या 444-बी का आवंटन पत्र क्रमांक 508 दिनांक 30.04.1997 को श्री धर्मपाल यादव पुत्र श्री किशोर लाल यादव के नाम आवंटन किया गया था। श्री धर्मपाल यादव पुत्र श्री किशोर लाल यादव द्वारा जर्ये मुख्तारआम श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल द्वारा उक्त आवास जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2008 को श्री चमन प्रकाश नायक पुत्र श्री रामनारायण को विक्रय कर दिया गया था। श्री चमन प्रकाश नायक की मृत्यु दिनांक 25.07.2021 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री चमन प्रकाश नायक पुत्र श्री रामनारायण के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती रजनी नायक पत्नी स्व. श्री चमन प्रकाश नायक द्वारा उक्त आवास संख्या 444-बी श्रीनाथपुरम आवासीय अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 444-बी श्रीनाथपुरम आवासीय योजना का नामहस्तान्तरण श्रीमती रजनी नायक पत्नी स्व. श्री चमन प्रकाश नायक के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा**

पंचवटी पर्यावरण विकास समिति का सघन वृक्षारोपण सम्पन्न

कोटा में पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा पौधारोपण किया गया।

कोटा, (निसं)। पंचवटी पर्यावरण विकास समिति के तत्वावधान में विज्ञान नगर 5 बी सेक्टर स्थित पार्कों में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम समिति अध्यक्ष डॉ.एस.सान्याल के सानिध्य में आयोजित हुआ। जिसके अंतर्गत पार्क परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत नीम, बड़, पीपल, जामुन, कदम, अशोक, बादाम के कुल 35 से अधिक पौधे लगाए गए जिनकी नियमित देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व समिति के सदस्यों एवं विशेष कर पार्क के आसपास रहने वाले सदस्यों को दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ सान्याल ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में वृक्षों का संरक्षण करना अति- आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग एवं वायु प्रदूषण से बचाव का एकमात्र रास्ता वृक्षारोपण है क्योंकि बिना पेड़-पौधों के मानव शरीर का स्वस्थ तंदुरुस्त रहना संभव नहीं है तभी तो सरकार ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान प्रारंभ किया हुआ है जिसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पूरे क्षेत्र में परिलक्षित हो रहा है। प्रेस प्रतिनिधि सुधीन्द्र गौड़ ने बताया कि इस अभियान में मुरारीलाल, प्रियंक शर्मा, मीता सान्याल, आरसी रल्हन, जी पी गौतम, डॉ. केसी गुप्ता, बागरेचा, रामरतन, राधा राठी, सोनू, प्रकाश, दुर्गा समेत सभी सदस्यगण का सक्रिय सहयोग रहा।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 1009 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 18.7.25

आवास संख्या 1-ल-9 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रामजी लाल गुप्ता पुत्र श्री गंगा सहाय महाजन को किया गया था। श्री रामजी लाल गुप्ता पुत्र श्री गंगा सहाय महाजन के निवेदन पर दिनांक 11.03.1987 इनके नाम के साथ इनकी पत्नी श्रीमती शीला देवी गुप्ता का नाम संयुक्त रुप से जोड़ा गया। इस आवास का पंजीयन श्री रामजी लाल गुप्ता पुत्र श्री गंगा सहाय महाजन एवं श्रीमती शीला देवी गुप्ता पत्नी श्री रामजीलाल गुप्ता के नाम दिनांक 31.07.1990 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामजीलाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 11.05.2015 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती शीला देवी गुप्ता की मृत्यु दिनांक 09.05.2025 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके वारिसानों में श्री कैलाश गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता, श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता, श्रीमती मधु अनिल खंडेलवाल पुत्री स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता पत्नी श्री अनिल खण्डेलवाल एवं श्रीमती अनु खंडेलवाल पुत्री स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता पत्नी श्री सुरेश खण्डेलवाल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर आवास का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन अपने नाम संयुक्त रुप से किए जाने का निवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कैलाश गुप्ता, श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता, श्रीमती मधु अनिल खंडेलवाल पत्नी श्री अनिल खण्डेलवाल एवं श्रीमती अनु खंडेलवाल पत्नी श्री सुरेश खण्डेलवाल पुत्री स्व. श्री रामजीलाल गुप्ता के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री कैलाश गुप्ता, श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता, श्रीमती मधु अनिल खंडेलवाल पत्नी श्री अनिल खण्डेलवाल एवं श्रीमती अनु खंडेलवाल पत्नी श्री सुरेश खण्डेलवाल पुत्री स्व. श्री रामजीलाल गुप्ता के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री कैलाश गुप्ता, श्री संजय गुप्ता पुत्र स्व. श्री रामजी लाल गुप्ता, श्रीमती मधु अनिल खंडेलवाल पत्नी श्री अनिल खण्डेलवाल एवं श्रीमती अनु खंडेलवाल पत्नी श्री सुरेश खण्डेलवाल पुत्री स्व. श्री रामजीलाल गुप्ता के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा। **उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-328 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-15.7.25

नगर विकास न्यास कोटा की मोहनलाल सुखाडिया आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या एच-105 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 23.09.2011 को श्री खलील अहमद पुत्र श्री अजीज अहमद को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री शिवनारायण गौतम पुत्र श्री रामचन्द्र गौतम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2015 को श्रीमती बृजेश शर्मा पत्नी श्री हेमन्त कुमार शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या एच-105 योजना मोहनलाल सुखाडिया आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती बृजेश शर्मा पत्नी श्री हेमन्त कुमार शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

दीपक भाटिया ने 51वीं बार एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। एसडीपी डोनेशन को लेकर आज भी लोगों में भ्रांतियां हैं और लोग अनजान हैं, ऐसे में सांगोद से कोटा उपचार कराने आए जयंत नागर को 4 आरडीपी की आवश्यकता होने पर परिजन परेशान हो रहे थे, ऐसे में वह टीम जीवदाता के सम्पर्क में आए और उसके बाद उन्हें राहत मिली।

लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक टीम जीवनदाता के संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि बी पॉजीटिव आरडीपी के लिए परिजन परेशान हो रहे थे, ऐसे एक युनिट एसडीपी के लिए चिकित्सकों से परामर्श कर व्यवस्था की गई। देर रात का समय होने से डोनर्स का मिलना भी मुश्किल था, लेकिन मैसेज को पढ़ते ही बीमा अभिकर्ता संघ कोटा प्रथम के कोटा के अध्यक्ष दीपक भाटिया अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और उन्होंने 51वीं बार एसडीपी डोनेशन किया।

दीपक उस समय घर पर विश्राम कर रहे थे। दीपक का कहना है कि एसडीपी व रक्तदान से स्वयं भी स्वास्थ्य रहते हैं और सामने वाले जरूरतमंद को भी स्वास्थ्य करते हैं, ऐसे में हम सभी को नियमित रूप से रक्तदान व एसडीपी डोनेशन करना चाहिए। गुप्ता के कहना है कि भाटिया इस सेवाकार्य के लिए इतने समर्पित रहते है कि कई बार अपने बेहद जरूरी कामों को भी उन्होंने अधूरा छोड़कर मदद के लिए आए हैं। शहर में ऐसे युवा तेजी से मानवीय मूल्यों के प्रति सजग हो रहे हैं।

आज यहां बिजली बंद रहेगी

कोटा, (निसं)। विद्युत लाइनों के रखरखाव के कारण मंगलवार को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक शिवपुरा, वक्फ बोर्ड कॉलोनी, अधरशिला, हजीरा बस्ती, हनुमान बस्ती, भीतरिया कुंड, आरएसी मुख्यालय, गोदावरी धाम, श्याम नगर, पोल्ट्री एस्टेट, आरएसी क्वार्टर (सी ब्लॉक), अमर निवास कॉलोनी, वीएंडवी ग्रुप, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नगर निगम कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, फर्नीचर मार्केट, बड़ी मस्जिद, छावनी फ्लाईओवर मार्केट, शमा कॉलोनी, लौहानी चौराहा, रामचन्द्रपुरा, छावनी पुलिस चौकी, चित्रा डेयरी, गोयल धर्मशाला, छावनी मुख्य बाजार, एक मीनार मस्जिद क्षेत्र, चारभुजा मंदिर की गली, आकाश मॉल, दोपहर 2.30 से शाम 6 बजे तक इंद्र विहार क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।